प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

युगलपीठ **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं**
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

रिट अपील क्रमांक 45 सन् 2007

अपीलार्थी भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ
(आई.एन.टी.यू.सी.) एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रबंध निदेशक,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
(बाल्को) तथा अन्य

रिट अपील क्रमांक 46 सन् 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ
(आई.एन.टी.यू.सी.)
एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रबंध निदेशक,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
(बाल्को) तथा अन्य

निर्णय

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूं

हस्ताक्षर/-
मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु सूचीबद्ध : 24/03/2009

हस्ताक्षर/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

युगलपीठ **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति एवं**
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

रिट अपील क्रमांक 45 सन् 2007

अपीलार्थी **1.** भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ
(आई.एन.टी.यू.सी.), द्वारा महासचिव बाल्को नगर,
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

2. ललित सिंह कन्याल,पिता स्वर्गीय के. एस. कन्याल,
आयु 59 वर्ष, कर्मचारी संख्या 2272, निवासी
401/31-बी, बाल्को नगर, कोरबा,जिला कोरबा
(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी **1.** प्रबंध निदेशक,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.,
बाल्को नगर,जिला कोरबा (छ.ग.)

2. निरीक्षक, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन
(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत,
जिला कोरबा (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, श्रम विभाग,मंत्रालय
(डी.के.एस. भवन) रायपुर छत्तीसगढ़

रिट अपील क्रमांक 46 सन् 2007

अपीलार्थी

1. भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ
(आई.एन.टी.यू.सी.),
द्वारा महासचिव
बाल्को नगर, कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

2. एम.एस.चौहान , तकनीकी अधिकारी,
कर्मचारी संख्या 7433,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.,
बाल्को नगर, कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

1. प्रबंध निदेशक,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.,
बाल्को नगर, कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)

2. कारखाना प्रबंधक निर्माण,
एस आर एस,
भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.,
कोरबा ,जिला कोरबा (छ.ग.)

3. निरीक्षक, छत्तीसगढ़ औद्योगिक
नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम,

1961 के अंतर्गत,जिला कोरबा (छ.ग.)

4. छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा सचिव, श्रम विभाग,

मंत्रालय (डी.के.एस. भवन)

रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगलपीठ में अपील)अधिनियम ,2006 की धारा 2(1)

के अंतर्गत रिट अपील

उपस्थित :

डॉ. एन.के.शुक्ला , वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री राजीव श्रीवास्तव अधिवक्ता, अपीलार्थीगण के लिए।

श्री अभिषेक सिन्हा , रिट अपील क्रमांक 45 सन् 2007 में अपीलार्थी क्र. 1 तथा रिट अपील क्रमांक 46 सन् 2007 अपीलार्थी क्र. 1 व 2 के लिए अधिवक्ता।

श्री एन.के.अग्रवाल , उप महाधिवक्ता , रिट अपील क्रमांक 45 सन् 2007 में प्रत्यर्थी क्र. 2 व 3 तथा रिट अपील क्रमांक 46 सन् 2007 प्रत्यर्थी क्र. 3 व 4 के लिए अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(31/07/2008)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा उद्घोषित किया गया-

1. इन रिट अपीलों को इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2007 को पारित एक ही आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा एक समान विधिक प्रश्न से संबंधित रिट याचिकाओं के एक समूह को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया था।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :

निरीक्षक, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) , कोरबा ने अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत अपने अधिकारों का

उपयोग करते हुए विभिन्न आदेश पारित किए। इन आदेशों में उन्होंने स्वयं अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवादों का निराकरण किया और यह घोषित किया कि संबंधित अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 3(ड) के अर्थ में कर्मचारी हैं, जिसे छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 2(13) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और वे कंपनी के स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासित होंगे। ऐसे ही एक आदेश, दिनांक 6 मार्च 2006 (जिसे रिट याचिका क्रमांक 1595/2006 में चुनौती दी गई थी), का अंतिम कण्डिका इस प्रकार उद्धृत है—

> **12.“**अतः उपर्युक्त विचार–विमर्श के आलोक में, मैं सत्य प्रकाश, निरीक्षक, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम,1961, कोरबा, जिला कोरबा, अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे अधिनियम के प्रशासन हेतु प्रदान किए गए हैं, निर्देश देता हूँ कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को नगर, कोरबा के प्रबंध निदेशक, आवेदक को अधिवार्षिकी (superannuation) की तिथि अर्थात 31.01.2008 से पूर्व सेवानिवृत्त न करें, तथा आवेदक 60 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहेगा, जैसा कि गैर-आवेदक के स्थायी आदेश के नियम 5(घ) में प्रावधानित है।**”**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. निरीक्षक की इस कार्यवाही से कंपनी को उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएँ दायर करने के लिए अनेक वाद कारण उद्भूत हुए। कंपनी ने माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष यह तर्क दिया कि निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विशिष्ट शक्ति व क्षेत्राधिकार के अभाव में शून्य थे। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि, चूँकि इन मामलों में स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता का प्रश्न उत्पन्न हुआ था, इसलिए अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों का निर्णय श्रम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था तथा अन्य किसी भी प्राधिकारी स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता के प्रश्न पर निर्णय करने का अधिकार नहीं था। अतः संबंधित निरीक्षक द्वारा पारित आदेश

अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि, अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक की शक्ति केवल अधिनियम के प्रावधानों का, जांच के माध्यम से तथ्यों का संकलन के पश्चात सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराना है ; तथा जहाँ स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता अथवा व्याख्या पर विवाद हो,वहाँ मामला श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाना चाहिए, जिसका निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया कि पक्षकारों के मध्य स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता एवं व्याख्या के संबंध में एक विवाद विद्यमान था और निरीक्षक को अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त विवाद्यक का निर्णय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था तथा रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, कर्मचारियों को अपने पद की स्थिति एवं विवादों में स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता के निर्णय के लिए उपयुक्त मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित इसी सामान्य आदेश के विरुद्ध यह रिट अपीलें दायर की गयी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अधिनियम, 1961 की धारा 13, 15 एवं 17 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है निरीक्षक को ऐसे विवादों का निर्णय करने का तथा यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि अधिनियम के प्रावधानों का एवं कर्मचारियों के पक्ष में पारित स्थायी आदेशों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो, जिससे किए गए प्रावधानों का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। अतः निरीक्षक द्वारा पारित आदेश अधिकार क्षेत्र के भीतर थे और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन आदेशों को निरस्त करके विधिक त्रुटि की है।

6. इसके विपरीत, कंपनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा संबंधित रिट याचिकाओं के अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।

8. पक्षकारों के अभिवचनों तथा संबंधित निरिक्षक द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु यह था कि क्या कंपनी के स्थायी आदेश, जो विशेष रूप से श्रमिकों पर लागू होते हैं, उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें प्रारंभ में श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु बाद में सहायक तकनीकी अधिकारी या तकनीकी अधिकारी जैसे पर्यवेक्षी पदों पर पदोन्नत कर दिया गया। रिट अपील क्रमांक 45/2007 में, अपीलकर्ता क्रमांक 2 को जुलाई 2003 में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था तथा रिट अपील क्रमांक 46/2007 में, अपीलकर्ता क्रमांक 2 को जनवरी 2003 में तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलकर्ताओं का तर्क था कि वे अब भी कंपनी के स्थायी आदेशों के अंतर्गत रहेंगे, जबकि कंपनी का तर्क था कि अपीलकर्ता पर्यवेक्षी क्षमता में कार्य कर रहे हैं, और उन्हें अधिकारियों के समान सुविधाएँ एवं वेतनमान प्राप्त हैं, इसलिए उन पर एक भिन्न नियमन प्रणाली लागू होती है। कर्मचारियों ने पदोन्नति आदेश को स्वीकार कर लिया था और तत्पश्चात सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष को भी स्वीकार कर लिया था, जो पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए निर्धारित है। कंपनी के श्रमिकों हेतु स्थायी आदेशों की धारा 5(घ) में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इन सभी मामलों में निरीक्षक ने स्वयं इस विवाद को अपने निर्णय हेतु ग्रहण किया और अंततः स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता एवं व्याख्या के विषय में निर्णय दे दिया, जो हमारे विचार में विधि के अनुरूप नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यदि हम अधिनियम, 1961 की विभिन्न प्रावधानों पर दृष्टि डालें, तो यह स्पष्ट होता है कि धारा 13 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी स्थायी आदेश की प्रयोज्यता या व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो नियोक्ता, कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रतिनिधि उस प्रश्न को क्षेत्राधिकारयुक्त श्रम न्यायालय को संदर्भित कर सकता है, और श्रम न्यायालय, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, उस प्रश्न पर निर्णय देगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। धारा 15 के अंतर्गत निरीक्षकों की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। उपधारा (1) के अनुसार, राज्य सरकार

अधिसूचना के माध्यम से श्रम विभाग के ऐसे अधिकारियों को, जो उप श्रम अधिकारी के पद से निम्न न हों, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकती है, ऐसी अधिसूचना में उपक्रमों के वर्ग को परिभाषित किया जाएगा जिसके संबंध में व जिन क्षेत्रों के भीतर वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। उपधारा (2) यह कहती है कि प्रत्येक निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने क्षेत्राधिकारिता में अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे तथा उपधारा (3) यह कहती है कि निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में नियोक्ता व कर्मचारी से ऐसी जाँच कर सकता है और आवश्यक सूचना संकलित कर सकता है, जो अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु उचित समझता हो। आगे धारा 17 में कुछ विशेष परिस्थितियों में दंड एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अधिनियम के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों को निहित अधिकार न्यायिक नहीं हैं। धारा 15 की उपधारा 2 जो ऐसे निरीक्षकों के कर्तव्य का उल्लेख करती है,केवल यह प्रावधान करती है कि वे निरीक्षक अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम एवं नियमों के उचित पालन को सुनिश्चित करे। उपधारा (3) के स्पष्टीकरण द्वारा यह उपबंध किया गया है कि निरीक्षक समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए ऐसी जाँच कर सकते हैं, जिसे वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें। विधानमंडल द्वारा पक्षकारों के मध्य उठाए गए विवादों के न्यायनिर्णयन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित निरीक्षक ने अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के नाम पर स्वतः ही न्यायनिर्णयन क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया और पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों, विशेष रूप से स्थायी आदेशों की लागू योग्यता एवं व्याख्या से संबंधित विवादों का निराकरण करने लगा, जबकि अधिनियम की धारा 13 में इस हेतु विशिष्ट वैधानिक प्रावधान किया गया है और एकमात्र अधिकार श्रम न्यायालय को प्रदान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि, यदि किसी कार्य को करने के लिए विधायिका ने किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया या प्रावधान निर्धारित किया है, तो वह कार्य उसी प्रक्रिया से किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य विधि या उपाय से। यदि कोई कार्य विधायिका द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया से हटकर

किया जाता है, तो वह विधि–विरुद्ध होता है। यदि अधिनियम की धारा 15(2) व(3) से निरीक्षक के अधिकार न्यायिक होते, तो विधायिका ने इसका स्पष्ट उल्लेख अधिनियम में किया होता; परंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत, अधिनियम की धारा 13 में विशेष रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि जहाँ स्थायी आदेशों की लागू–योग्यता या व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता है, वहाँ मामला श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाएगा। अतः धारा 13, 15 एवं 17 का संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि निरीक्षकों के अधिकार न्यायिक स्वरूप के नहीं हैं, और वे इस प्रकार के विवादों का निपटारा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

11. उपर्युक्त सभी कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई बल नहीं दिखाई देता।

अतः ये दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

12. कोई व्यय देय नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित:
मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित :
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv Vartika Verma